जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, गुना (म.प्र.)

परिवाद प्रकरण कमांक–256 / 2023
प्रस्तुति दिनांक – 10.08.2023
पंजीकरण दिनांक–10.08.2023

(स म क्ष)
अध्यक्ष – सुरेश कुमार चौबे
सदस्य – कु0 शबीना अली

अनामिका कुमार पत्नि चन्द्रभूषण कुमार
नि0 पुरानी पानी टंकी के पास, ब्राईट
एंजल्स हाई स्कूल आरोन जिला गुना(म.प्र.)
..... *परिवादी*

/ / विरूद्ध / /

1.रीजनल प्रबंधक, सहारा क्यू शॉप
20 / 14 महानंदा नगर उज्जैन म.प्र.
2.जोन प्रबंधक, सहारा क्यू शॉप
एडमिन आफिस 159 प्रथम तल जोन नं.1
एम.पी.नगर भोपाल म.प्र.
3.प्रबंध निर्देशक एवं अध्यक्ष सहारा इडिया
ग्रुप गोमती नगर लखनऊ उ.प्र.
4.उप प्रबंधक, निदेशक सहारा इंडिया ग्रुप
गोमती नगर लखनऊ उ.प्र.
5.डी.के. श्रीवास्तव, अध्यक्ष सहारा केडिट
सोसायटी सहारा इंडिया गोमती नगर
लखनऊ उ.प्र.
..... *विपक्षीगण*

उभय पक्ष के अधिवक्तागण
परिवादी द्वारा : श्री राकेश व्यास अभिभाषक
विपक्षीगण : अनुपस्थित व एकपक्षीय

:: (आ–दे–श) ::

(आज दिनांक 08 नवम्बर 2023 को पारित)

अध्यक्ष–सुरेश कुमार चौबे के अनुसार–

1. परिवादी ने विपक्षीगण के यहां से सहारा स्टार्स मल्टीपर्पज कॉओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की सुपर ए.बी. योजना मे जमा राशि 1,75,000रूपये की परिपक्वता राशि अदा न करने को सेवा में कमी होना बताते हुये यह परिवाद

08/11/23

08/11/2023

धारा–35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (अत्र पश्चात अधिनियम 2019 से निर्दिष्ट) के अतर्गत प्रस्तुत किया है और सहायता चाही है कि उसे विपक्षीगण से जमा राशि मय ब्याज व बोनस सहित 4,19,930/– रू. भुगतान कराई जाये, उसके साथ–साथ आर्थिक व मानसिक नुकसानी के रूप में 40,000रूपये की राशि तथा वादव्यय एवं अभिभाषक शुल्क की राशि 10,000रूपये भी दिलाई जाये।

2. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का सार यह है कि उसने विपक्षी गण द्वारा सचालित सहारा स्टार्स मल्टीपर्पज कॉओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की **सुपर ए.बी.** योजना के अतर्गत प्रमाण पत्र क.805001123006 लगायत क.80500112 3008 एव रसीद न.515005725444 लगायत 515005725446 तक में कमशः 50,000रू., 50,000रू. व 75,000रू. सभी दिनाक 15.04.2017 को इस प्रकार कुल 1,75,000रूपये की राशि निवेशित की थी और वह विपक्षीगण का उपभोक्ता है। विपक्षीगण द्वारा परिवादी को निवेशित की गई राशि का भुगतान ब्याज सहित परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाने के उपरांत भी परिवादी को न कर सेवा में कमी की है। अतः परिवादी ने अपने परिवाद के माध्यम से सहायता चाही है कि उसका परिवाद स्वीकार कर उसे विपक्षीगण से इस आदेश की कंडिका 01 में लिखे अनुसार अनुतोष प्रदाय कराये जाये।

3. विपक्षीगण को परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई हेतु पंजीकृत डाक से सूचना पत्र दिनांक 13.09.2023 को प्रेषित किये गये जो विपक्षी क01 एव 02 के आयोग को अदम तामील वापस प्राप्त हुआ एवं विपक्षी क03, 04 व 05 के सूचना पत्र तामील अदम तामील वापस प्राप्त नहीं हुये और 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत होने से तामीली की उपधारणा की गई तथा विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित भी नही हुआ इस वजह से विपक्षीगण के विरूद्ध इस प्रकरण की कार्यवाही एकपक्षीय की गई, उन्होंने परिवादी के परिवाद का कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

4. परिवादी के परिवाद को निराकृत करने हेतु आयोग के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचारार्थ उदभूत होते हैं :–

(1) क्या विपक्षीगण ने परिवादी को उसके द्वारा निवेशित की गई राशि का ब्याज सहित भुगतान न कर सेवा में कमी की है?

(2) सहायता एवं व्यय?

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 पर सकारण निष्कर्ष :–

5. परिवादी ने अपने परिवाद को प्रमाणित करने के लिये स्वय का शपथपत्र सहित प्रदर्श सी–1 लगायत सी–3 तक के मूल प्रमाण पत्र एव उनकी छाया प्रतिया पेश की है जिसके अनुसार परिवादी ने उक्त प्रमाण पत्रों के माध्यम से दिनाक 15.04.2017 को प्रमाण पत्र क.805001123006 लगायत क.80500112 3008 एव रसीद न.

515005725444 लगायत 515005725446 तक में कमशः 50,000रू., 50,000रू. व 75,000रू. इस प्रकार कुल 1,75,000रूपये की राशि निवेशित की थी की है। प्रत्येक प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग मे लिखी हुई शर्तों की कडिका 10 में यह शर्त लेख की गई है कि यदि सोसायटी का सदस्य 01 लाख रूपये की राशि निवेशित करता है तो 30 माह पश्चात उसे 43,240रूपये की राशि बढ़ाकर दी जायेगी। परिवादी ने विपक्षी के पास कुल 1,75,000रूपये की राशि माह **दिनांक 15.04.2017 में** निवेशित की है, उक्त राशि पर **30 माह पश्चात अर्थात 15.10.2019** तक परिवादी को 75,670रू. ब्याज के साथ कुल मूलधन की राशि 1,75,000रूपये जोड़कर कुल राशि **2,50,670रूपये** विपक्षीगण से प्राप्त होना थी। परिवादी ने अपने उक्त दस्तावेज के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसका खण्डन विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है इस कारण परिवादी की ओर से प्रस्तुत की गई उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विपक्षीगण ने परिवादी को उसके द्वारा जमा की गई राशि मय ब्याज भुगतान न कर सेवा में कमी की है। इस कारण परिवादी विपक्षीगण से उनके पास जमा की गई राशि की परिपक्वता राशि प्राप्त करने की अधिकारी होना पाया जाता है। तदनुसार विचारणीय प्रश्न कमांक 01 का उत्तर सकारात्मक रूप से **"हॉ"** मे दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय :-

6. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न कमांक 01 की विवेचना एवं उसमें दिये गये निष्कर्ष के आधार पर परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 विपक्षीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और परिवादी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि :-

(क) यह कि, विपक्षीगण संयुक्त अथवा प्रथक-प्रथक रूप से आज दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर परिवादी द्वारा सहारा स्टार्स मल्टीपरपस कॉओपरेटिव सोसायटी की **सुपर ए.बी.** योजना में जमा की गई कुल राशि 1,75,000रूपये एवं उक्त राशि पर दिनांक 15.04.2017 से दिनांक 15.10.2019 तक तय हुये ब्याज की राशि 75,670रू. जोड़कर कुल राशि 2,50,670रूपये (रू. दो लाख पचास हजार छः सौ सत्तर) का भुगतान करे।

(ख) यह कि, विपक्षीगण सयुक्त अथवा प्रथक-प्रथक रूप से परिपक्वता दिनांक 15.10.2019 के पश्चात राशि अदायगी दिनांक तक परिवादी को कुल राशि 2,50,670रूपये पर 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी अदा करें।

(ग) यह कि, विपक्षीगण संयुक्त अथवा प्रथक-प्रथक रूप से आज दिनांक से एक माह की अवधि के अंदर परिवादी को वादव्यय के रूप में 1000रूपये (रूपये एक हजार) की राशि अदा करें और यदि विपक्षीगण एक माह के अंदर उक्त वादव्यय की राशि परिवादी को अदा नहीं करते हैं तब एक माह पश्चात विपक्षीगण उक्त

08/11/23

08/11/23

वादव्यय की राशि पर अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी अदा करें।

(घ) यह कि, परिवादी को सहारा इंडिया रिफण्ड योजना 2023 के अंतर्गत यदि विपक्षीगण द्वारा कोई राशि भुगतान की गई है अथवा भुगतान की जायेगी तब उक्त राशि को समायोजित करने के उपरांत ही शेष राशि परिवादी विपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

दिनांक :– 08 नवम्बर, 2023

(कु0 शबीना अली)
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
गुना (म0प्र0)

(सुरेश कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
गुना (म0प्र0)